

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2016

## नगर पंचायत काँटी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण

क्र० सं०	कोटि	विज्ञान										कला					वाणिज्य			कुल						
		भौतिकी	रसायन	जन्तु विज्ञान	वनस्पति विज्ञान	गणित	हिन्दी	अंग्रेजी	इतिहास	भूगोल	समाज शास्त्र	अर्थशास्त्र	मनोविज्ञान	गृह विज्ञान	राजनीति शास्त्र	दर्शन शास्त्र	उर्दू	संस्कृत	कम्प्यूटर साईंस		एकाउन्टेंसी	इंटरप्रेन	संगीत			
1	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	अनुसूचित जाति (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	अनुसूचित जन जाति (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	पिछड़ा वर्ग (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पिछड़े वर्ग की महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	अनारक्षित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	अनारक्षित (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	दृष्टि बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	श्रवण बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अस्थि बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट : 1. कॉमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, विहार, पटना के ज्ञापक-62 दिनांक 05.01.07 के आलोक में विकलांग उम्मीदवारों के लिए तीन प्रतिशत समानान्तर आरक्षण का लाभ देय है।

2. सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के पत्रांक-2342 दिनांक 15.02.16 के आलोक में सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35 प्रतिशत शैलिंग आरक्षण का प्राधान्य दिया गया है।

3. सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के पत्रांक-2524 दिनांक-18.02.16 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत शैलिंग आरक्षण के क्रम में के सेक्टर बिन्दु 50 तक व्यवहृत हो रहा है तो एक अन्यर्था का यवन तथा सेक्टर बिन्दु 100 तक व्यवहृत हो रहा है तो दो अन्यर्था का यवन (जिस कोटि के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी हों उसी कोटि के सेक्टर बिन्दु पर शैलिंग आरक्षण का लाभ देते हुए) किया जायेगा।

4. विभागीय निर्देशानुसार सेक्टर एवं शैलिंग में सशोचन समाहित है।

जिला कार्यक्रम प्रशासिका/

मा0शि0आर0एम0रस0ए0, मुजफ्फरपुर।

जिला कार्यक्रम प्रशासिका/

मा0शि0आर0एम0रस0ए0, मुजफ्फरपुर।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

मुजफ्फरपुर।

सर्वात अनुमोदित

जिला शिक्षा उप-निदेशक